प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

28 मार्च 2023

'सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की आईटी लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

माल और सेवा कर पर 'सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की आईटी लेखापरीक्षा' (2023 की रिपोर्ट नंबर 3) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे सूचीबद्ध है:

अधिग्रहण और अधिप्राप्ति

कुल 12 संभावित बोलीदाताओं ने आरएफपी खरीदा, लेकिन सीबीआईसी के अप्रत्यक्ष कर एप्लीकेशन (जीएसटी और एसीईएस) के विकास और रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन और प्रशिक्षण और हेल्पडेस्क सेवाओं के प्रावधान के लिए बोली प्रक्रिया में केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया। *भविष्य में, विभाग को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करके वेंडर लॉक-इन को कम करना चाहिए कि अगले अनुबंध के लिए निविदा में अधिक बोली लगाने वाले भाग लें। यह संभावित बोलीदाताओं और मौजूदा प्रणाली समेकक (एसआई) के बीच यथासंभव समतुल्य अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को तैयार करके किया जाए। साथ ही, इस निविदा को समय से शुरू किया जाए ताकि केवल एक बोली प्राप्त होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो, विभाग के पास पुनः निविदा के लिए पर्याप्त समय हो।*

मॉड्यूल का विकास और उपयोग

लेखापरीक्षा के समय तक मोबाइल एप्लीकेशन, निर्यात, लेखापरीक्षा और करदाता एक नजर में जैसे मॉड्यूल विकसित नहीं किए गए थे। अधिनिर्णयन, जांच और अपील के लिए मॉड्यूल की कार्यात्मकताओं का उपयोग केवल एक सीमित सीमा तक किया जा रहा था। *विभाग को आईटी शासन और प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि*

परियोजना की समयसीमा का पालन किया जा रहा है और शुरू किए गए मॉड्यूल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है जैसी परिकल्पना की गई थी।

सेवा स्तरीय करार (एसएलए) और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी)

पांच एसएलए से संबंधित 32 मापदंडों में से, विभाग ने केवल 14 मापदंडों के लिए एसएलए अभिलेख प्रदान किए। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण एसएलए मापदंड में कहा गया कि 95 प्रतिशत व्यावसायिक संव्यवहारों का प्रतिक्रिया समय डेटा सेंटर में दो सेकंड की सीमा के भीतर होना था। प्रणाली समेकक (एसआई) विक्रेता द्वारा नियमित रूप से विभाग को इसके बारे में सूचित करने के बावजूद, इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि एप्लीकेशन विक्रेता की ओर से एप्लीकेशन बेसलाइनिंग लंबित थी। इस तरह की बेसलाइनिंग की अनुपस्थिति में, लक्षित निष्पादन तक पहुंचने में विफलता के लिए किसी विक्रेता को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। *विभाग को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के एप्लीकेशन निष्पादन की बेसलाइनिंग के लिए जल्द से जल्द दोनों विक्रेताओं (एसआई और एप्लीकेशन विक्रेताओं) के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए।*

अन्य एसएलए मापदंडों के संबंध में, जिनके लिए अभिलेख प्रदान किए गए थे, विक्रेता द्वारा संसाधन परिनियोजन संभालने और हेल्पडेस्क परिचालन योजना (स्तर-1) प्रस्तुत करने में विलम्ब के मुद्दे थे। इसके अलावा, प्रतिदाय शिकायतों के आंकड़ों से पता चला कि संबंधित निर्धारित समय सीमा के बाद मामलों का समाधान किया गया था और कई मामले असमाधित रहे। *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा स्तर समझौते के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से निगरानी की जाए; विभाग और विक्रेता संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार अपनी-अपनी भूमिका निभाएं और गैर/विलंब से निष्पादन की प्रभावी ढंग से समीक्षा की जाए और सहमत समयसीमा के भीतर इसका समाधान किया जाए।*

पंजीकरण मॉड्यूल

लेखापरीक्षा में व्यावसायिक परिसरों के अनिवार्य भौतिक सत्यापन (पीवी) के बिना पंजीकरण के डीम्ड अनुमोदन के उदाहरण पाए गए, जहां करदाताओं ने अपने आधार को प्रमाणित नहीं किया था। *विभाग को उन मामलों के लिए परिसर का पार्श्व भौतिक सत्यापन करना चाहिए जहां आधार प्रमाणित नहीं किया गया था। सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में असत्यापित आधार स्थिति वाले करदाताओं के अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना पंजीकरण की अनुमति नहीं देने का प्रावधान होना चाहिए। विभाग को उन मामलों के लिए अपवाद रिपोर्ट तैयार करने*

का प्रावधान करना चाहिए जहां करदाता के आधार सत्यापन और अनिवार्य भौतिक सत्यापन स्थिति की निगरानी और उचित कार्रवाई करने के लिए 'एन' के रूप में चिह्नित किया गया है।

उन मामलों में भी पंजीकरण को मंजूरी दी गई थी जहां पीवी रिपोर्ट में पंजीकरण आवेदनों को अस्वीकार करने की मांग की गई थी। विभाग को एक अलर्ट विकसित करना चाहिए जिसके द्वारा सीपीसी अधिकारी प्रतिकूल/नकारात्मक टिप्पणियों की पहचान कर सकें। उसे ऐसे मामलों की एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने पर भी विचार करना चाहिए।

अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना एमसीए पोर्टल (स्पाइस-एजाइल फॉर्म) के माध्यम से दायर किए गए आवेदनों के मामले में पंजीकरण स्वीकृत किए गए थे, जहां करदाता ने या तो आधार प्रमाणीकरण को नहीं चुना था या आधार प्रमाणीकरण विफल हो गया था। *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमसीए पोर्टल के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में अनुमोदित नहीं किया जाता है, जब तक कि इसे आधार प्रमाणित नहीं किया जाता, या भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता।*

पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन या कर अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्दीकरण के मामलों में निलंबन कार्यात्मकता लागू नहीं की गई थी। ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने और परिणामस्वरूप क्रेडिट के हस्तांतरण से प्रतिबंधित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निलंबन कार्यात्मकता सीजीएसटी नियमों के अनुरूप सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में लागू की जाए।*

संयोजन उद्ग्रहण योजना (सीएलएस) के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में एकल पैन के तहत कुल कारोबार की गणना करने के लिए तंत्र का अभाव देखा गया था। *विभाग को रिटर्न से कुल कारोबार की गणना करने के लिए वैधीकरण को लागू करने और संयोजन उदग्रहण योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित कारोबार सीमा को पार करने के बाद सामान्य करदाता स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए कर अधिकारी के लिए अलर्ट को भी शामिल किया जा सकता है जहां करदाता संयोजन उद्ग्रहण योजना के लिए कारोबार सीमा को पार करते हैं। विभाग को ऐसे सभी पिछले मामलों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य करदाता श्रेणी में लाया जा सके।*

संयोजन उद्ग्रहण योजना (सीएलएस) के अंतर्गत पंजीकृत एक ही पैन पर सामान्य करदाताओं के साथ-साथ कई पंजीकरणों की पहचान करने के लिए वैधीकरण एप्लीकेशन में नहीं बनाए

गए थे। *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रणाली में वैधीकरण मौजूद है ताकि एक ही समय पर सामान्य पंजीकरण के तहत करदाता को संयोजन उदग्रहण योजना के तहत एक ही पैन के साथ और इसके प्रतिकूल में पंजीकरण की अनुमति ना दी जाए। विभाग को ऐसे सभी पिछले मामलों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य करदाता श्रेणी में लाया जा सके।*

जीएसटीआईएन प्राप्त करने के बाद पैंतालीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, कर अधिकारियों को ऐसे करदाताओं की पहचान करने या ऐसे मामलों में रद्दीकरण की कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए कोई अलर्ट तंत्र नहीं था। *विभाग को नियम 21 और 21ए के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 10 और 10ए का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक खाता विवरण फाइल नहीं करने की स्थिति में कर अधिकारी के डैशबोर्ड पर अलर्ट कार्यात्मकता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।*

जहां कोई करदाता रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आरईजी-17 में जारी एससीएन (कारण बताओ नोटिस) के उत्तर में रिटर्न फाइल करता है, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में कर अधिकारी को यह सचेत करने का कोई प्रावधान नहीं है कि रिटर्न फाइल कर दिया गया है। पंजीकरण और रिटर्न मॉड्यूल के बीच सहबद्धता प्रदान नहीं की गई। *विभाग को पंजीकरण और रिटर्न मॉड्यूल के बीच एक लिंक प्रदान करना चाहिए ताकि रिटर्न फाइल करने और आरईजी -17 में नोटिस के उत्तर में करों का भुगतान करने पर कर अधिकारी को सचेत किया जा सके। सीजीएसटी नियमों के प्रावधानों के अनुसार समयसीमा के संबंध में प्रभावी वैधीकरण/अलर्ट प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।*

रिटर्न मॉड्यूल

रिटर्न की संवीक्षा, सार और अनंतिम निर्धारण, जोखिम निर्धारण इंजन, खाता बही रखरखाव इत्यादि जैसी कार्यात्मकताओं को विकसित नहीं किया गया है और विकास के लिए समय सीमा को तय नहीं किया गया

प्रतिदाय मॉड्यूल

अनंतिम प्रतिदाय आदेश (आरएफडी-04) में अधिनियम के अंतर्गत या किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत बकाया मांग के समायोजन की कार्यात्मकता को न तो एसआरएस में शामिल किया गया था और न ही विकसित किया गया था, हालांकि अधिनियम में इसका प्रावधान है। इसकी वजह से सरकारी राजस्व को जोखिम था। *विभाग को बकाया मांग के समायोजन के लिए*

कार्यात्मकता विकसित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण करना या अनंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति देते समय उचित अधिकारी को कम से कम ऐसी बकाया मांग के बारे में सचेत करना चाहिए।

विवाद निपटान और समाधान (डीएसआर) मॉड्यूल

रिटर्न फाइल करने के लिए नियत तिथियों को संशोधित/अद्यतन करने के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र नहीं था, जिसमें कानून/जीएसटी कौंसिल द्वारा अनिवार्य संशोधन/विस्तार भी शामिल था। *विभाग को रिटर्न मॉड्यूल के साथ एकीकरण में तिथियों को संशोधित/अद्यतित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर चर्चा करनी चाहिए और मॉड्यूल में इसके लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।*

क्रॉस-कटिंग मुद्दे

नियमों द्वारा अधिदेशित उचित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर/ई-सत्यापन कोड पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर को किसी भी मॉड्यूल में शामिल और अपनाया नहीं गया है। *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकल अधिकारी द्वारा गैर-अस्वीकार्य तरीके से वैधानिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए उचित डिजिटल हस्ताक्षर कार्यात्मकता को सभी मॉड्यूल में शामिल किया और अपनाया जाए।*

BSC/SS/TT/